न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -62/2024

अनवान

1. श्री कौशल कुमार चतुर्वेदी (के0के0 चतुर्वेदी) पुत्र कन्हेयालाल चतुर्वेदी, जाति ब्राह्मण, उम्र 61 वर्ष, पेशा सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी बालाजी नगर, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्री भुवनेश नागर पुत्र राधेश्याम नागर, जाति नागर, उम्र 40 वर्ष, पेशा व्यापार, निवासी अणुदीप कॉलोनी, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

1. महादेव गुर्जर पुत्र रामा जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. नोरथ गुर्जर पुत्र रामदेव गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गिरधारी पुत्र माधा जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. सांवरा पुत्र माधा जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. धर्मा पुत्र हरदेव जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. रमेश पुत्र टोडू जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. माधा पुत्र हरलाल जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. धर्मा पुत्र हरलाल जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. भुआना पुत्र उदा भील, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण भील, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
11. विरम पुत्र माधु गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
12. मनरूप पुत्र माधू गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
13. मांगू पुत्र हरदेव गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
14. बाबू पुत्र राजकुमार गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
15. अशोक कुमार जाट पुत्र धन्नालाल जाट, जाति जाट, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
16. जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

....प्रतिवादी/विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.12.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 रा0टि0 एक्ट का उक्त अनवान सदर का न्यायालय श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान् आप में पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। हम प्रार्थीगणों की क्रयशुदा कृषि आराजीयात जो ग्राम मौजा झालरबावड़ी, पटवार हल्का बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 103 आराजी नम्बर 150, रकबा 2.2100 हैक्टर खाते में रामदेव पुत्र रायमल गुर्जर, निवासी गुर्जर बस्ती, एनटीसी रावतभाटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से 9/10 हिस्सा खातेदार रामदेव ने हम प्रार्थीगण को बेचान की थी जो श्रीमान् उपपंजीयक महोदय भैंसरोड़गढ़ मुकाम रावतभाटा के यहां दिनांक 01.03.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 143 में पृष्ठ संख्या 7 क्रम संख्या 202403388100224 पर इन्द्राज है, जो ग्राम झालरबावड़ी की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 103, खसरा सख्या 150, रकबा 2.2100 हैक्टर में 9/10 हिस्सा अर्थात् रकबा 1.9890 हैक्टर प्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है जो क्रय दिनांक से ही हम प्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा क्रय दिनांक को ही रामदेव ने हम प्रार्थीगणों को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थीगण अपनी क्रयशुदा कृषि आराजीयात आराजी संख्या 150, रकबा 1.9890 हैक्टर पर गया तो वहां जाकर देखा कि विपक्षीगण संख्या 01 से 15 द्वारा प्रार्थीगण के खाते की कृषि आराजीयात रकबा 1.9890 हैक्टर कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जमीन पर पत्थर डलवा दिये तथा जमीन पर कच्ची पक्की दिवारें बना ली है तथा चद्दरपोश कमरा भी बना दिया है, जिस पर हम प्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण संख्या 01 से 15 प्रार्थीगणों साथ गाली गलोच कर मारपीट करने पर उतारू हो गए तथा कहने लगे कि हमने कब्जा कर लिया तो कर लिया, तुम्हें जो करना है कर लेना, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तथ हम प्रार्थीगणों को धक्के मारकर हमें हमारी जमीन से बाहर निकाल दिया, इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण के खाते की जमीन रकबा 1.9890 हैक्टर में विपक्षीगण संख्या 01 से 15 प्रार्थीगण की उक्त क्रयशुदा भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर तथा पत्थर डालकर कच्ची पक्की दीवार व चद्दरपोश मकान बनाने पर अमादा है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है कि वह प्रार्थीगणों की क्रयशुदा भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 1 से 14 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात का मौजा झालरबावडी में स्थित होना स्वीकार है, शेष इबारत जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना मकान व बाडे बने होना स्वीकार है, शेष इबारत पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 04 स्वीकार नहीं है, दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थी को कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ। शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 05 गलत होने से स्वीकार नहीं है, मौके पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा ना आज से अप्रार्थीगण गत् 40 से 50 वर्षों से काबिज है और अपने अपने मकान व बाडे बना कर स्वयं निवास कर रहे है और पशु पालन भी कर रहे है अप्रार्थीगण कृषि श्रमिक है व काश्तकार भी है, अपने कृषि संबंधित उपकरण तैयार माल व उपकरण भी रखने के इस्तेमाल में लेते है, अप्रार्थीगण विवादित भूमि के सवतः ही खातेदार हो चुके है, केवल पट्टे बनाये जाना बाकी है, प्रार्थीगण को कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है मोके पर कब्जा नहीं है, इसलिये प्रार्थना पत्र चलने लायक नहीं होकर प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह जादौन ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। जवाब अनुसार प्रार्थना [illegible] प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 स्वीकार होकर जवाब है कि ग्राम मौजा झालर[illegible] संख्या 103 खसरा संख्या 150 रकबा 2.21है0 भूमि खाते में प्रार्थी [illegible] 10 व [illegible] कुमार जाट 1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो [illegible] संख्या 15 अशोक कुमार जाट हिस्सा 1/10 पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है तथा 9/10 पर प्रार्थीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है जिस पर से भी अ[illegible]गण संख्या 01 से 14 को बेदखल किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुदृढ आधारों पर आधारित होने से उसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 14 खसरा संख्या 150 से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी एवं मुझ प्रतिवादी संख्या 15 को दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3, 4, 5 स्वीकार होकर जवाब है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 द्वारा प्रार्थी एवं मुझ अप्रार्थी संख्या 15 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

बेदखल किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुदृढ आधारों पर आधारित होने से उसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 14 खसरा संख्या 150 से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी एवं मुझ प्रतिवादी संख्या 15 को दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3, 4, 5 स्वीकार होकर जवाब है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 द्वारा प्रार्थी एवं मुझ अप्रार्थी संख्या 15 के खाते की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है जिन्हे बेदखल किया जाना न्यायोचित है। कॉलम संख्या 6, 7 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 16 पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होने तथा मूल वाद मे कमिश्नर रिपोर्ट पेश होने से पत्रावली में जवाब की आवश्यकता नहीं होने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार का जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम मौजा झालरबावड़ी, पटवार हल्का बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 103 आराजी नम्बर 150, रकबा 2.2100 हैक्टर खाते में रामदेव पुत्र रायमल गुर्जर, निवासी गुर्जर बस्ती, एनटीसी रावतभाटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से 9/10 हिस्सा खातेदार रामदेव ने हम प्रार्थीगण को बेचान की थी जो श्रीमान् उपपंजीयक महोदय भैंसरोड़गढ़ मुकाम रावतभाटा के यहां दिनांक 01.03.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 143 में पृष्ठ संख्या 7 क्रम संख्या 202403388100 224 पर इन्द्राज है, क्रय दिनांक को ही रामदेव ने हम प्रार्थीगणों को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थीगण अपनी क्रयशुदा कृषि आराजीयात आराजी संख्या 150, रकबा 1.9890 हैक्टर पर गया तो वहां जाकर देखा कि विपक्षीगण संख्या 01 से 15 द्वारा प्रार्थीगण के खाते की कृषि आराजीयात रकबा 1.9890 हैक्टर कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जमीन पर पत्थर डलवा दिये तथा जमीन पर कच्ची पक्की दिवारें बना ली है तथा चद्दरपोश कमरा भी बना दिया है, जिस पर हम प्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण संख्या 01 से 15 प्रार्थीगणों साथ गाली गलोच कर मारपीट करने पर उतारू हो गए। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 15 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौके पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा व हम अप्रार्थीगण गत् 40 से 50 वर्षो से काबिज है और अपने अपने मकान व बाडे बना कर स्वयं निवास कर रहे है और पशुपालन भी कर रहे है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित कृषि भूमि के स्वतः ही खातेदार हो चुके है, केवल पट्टे बनाये जाना बाकी है, प्रार्थीगण को कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है मौके पर कब्जा नहीं है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

-:आदेश:-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम झालरबावडी, प0ह0 झालरबावडी तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 103 खसरा संख्या 150 रकबा 2.21 हैक्टर खाते में प्रार्थी कौशल कुमार चतुर्वेदी व भुवनेश नागर व अन्य के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 15 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण की उपरौक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का दखलअसाजी अनाधिकृत [illegible], निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:48 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा